न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–44/2008

CNR No. UPBB180002452008

मो० अय्यूब बनाम कमरूद्दीन आदि

20.07.2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र क–48 वास्ते कायम मुकामी वादी मो० अय्यूब

पत्रावली पेश हुई।

वादी के विधिक वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र क–48 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी मो० अय्यूब की मृत्यु दिनांक 24.10.2019 को हो गयी है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादी की कायम मुकामी व वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के हाशिए पर हर्जे हेतु आपत्ति का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी मो० अय्यूब की मृत्यु दिनांक 24.10.2019 को होने का कथन किया गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र क–48 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अग्रिम नियत तिथि तक करे।

पत्रावली वास्ते निस्तारण ग–6/साक्ष्य वादी दिनांक 29.08.2022 को पेश हो।

(अर्पिता साहू)
सिविल जज(जू0 डि0),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0 14,
बाराबंकी